(2)

दिनांक | टी०ए० मिस केस सं० 262/2020-21 | अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **श्री लक्ष्मण सावैयाँ, पिता– स्व० कुरपा सावैयाँ**, निवासी ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **गितिलपी**, थाना नं०– **580**, खाता नं०– 62, प्लॉट नं०– 1109, **रकवा– 0.18** एकड़ भूमि क्रेता **सोनाराम गागराई, पिता– मन किशोर गागराई**, निवासी ग्राम– **बरकुन्डिया**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवदित भूमि आवेदक के पिता/दादा के मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हिस्से की भूमि को उत्तराधिकारी नामान्तरण वाद संख्या– 63/2020–21 के द्वारा नामान्तरित है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 1082, दिनांक– 27.10.2020 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पक्का मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **सोनाराम गागराई, पिता– मन किशोर गागराई**, निवासी ग्राम– **बरकुन्डिया**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री लक्ष्मण सावैयाँ, पिता– स्व० कुरपा सावैयाँ**, निवासी ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, क्रेता **सोनाराम गागराई, पिता– मन किशोर गागराई**, निवासी ग्राम– **बरकुन्डिया**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **8,99,000.00/– (आठ लाख निन्नवें हजार एक सौ रुपये)** में मौजा– **गितिलपी**, थाना नं०– **580** के अन्दर खाता नं०– 62, प्लॉट नं०– 1109, **रकवा– 0.18 एकड़** जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है।

लेखापित

[signature]
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

[signature]
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।